



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 भाद्र 1948 (श10)

(सं0 पटना 1141) पटना सोमवार 21 सितम्बर 2026

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद)

अधिसूचना
21 सितम्बर 2026

सं० मं०-01/मंत्रिपरिषद्-26/2012/1268—पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह बहुसंख्यक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साथ परामर्श के उपरांत, अपने पत्र ई-फाईल संख्या- 13(18)/2022-EG-II दिनांक-07.08.2026 के माध्यम से बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (जिसे इसके बाद उक्त पर्षद कहा गया है) को उसके मूल विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार (जिसे इसके बाद उक्त विभाग कहा गया है) के माध्यम से आधार सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 के साथ सह पठित (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (4) खंड (b) उप खंड (ii) के तहत स्वैच्छिक आधार पर आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए अधिसूचित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

संस्था द्वारा निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं प्रभावी प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म हेतु आधार प्रमाणीकरण (सत्यापन) किया जाएगा (जिसे इसके बाद उक्त उद्देश्य कहा गया है) जैसा कि उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत निर्धारित है। उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन स्वैच्छिक आधार पर होगा और पर्षद केवल अपने द्वारा आयोजित विभिन्न चरणों की परीक्षाओं और/या काउंसलिंग में तथा दस्तावेज सत्यापन एवं नामांकन/योगदान की प्रक्रिया के समय उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की पहचान स्थापित करने के लिए ही आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन करेगा। (जिन्हें इसके बाद उपयोग के मामलों के रूप में संदर्भित किया जाएगा।)

ऐसा प्रमाणिकरण हाँ/नहीं (Yes/No) और/या ई-केवाईसी (e-KYC) प्रमाणीकरण सुविधाओं का उपयोग करके प्रतिरूपण (दूसरे के नाम पर परीक्षा देना), दोहराव और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोकने तथा डेटा की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

अतः उक्त नियम 5 के साथ सह पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) खंड (b) उप-खंड (ii) के अनुसरण में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से एतद् द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करता है :-

1. (1) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत पर्षद अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार इसके उल्लिखित प्रमाणिकरण के उद्देश्य से आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

(2) उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर होगा। पर्षद आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यावहारिक साधनों के बारे में सूचित करेगा और आधार प्रमाणीकरण से इन्कार करने या उसमें असमर्थ होने के कारण आधार संख्या धारक को किसी भी सेवा से वंचित नहीं करेगा।

पहचान का सत्यापन संबंधित परीक्षा/काउंसलिंग के लिए पर्षद द्वारा निर्गत विवरण-पुस्तिका/विज्ञापन में समय-समय पर निर्दिष्ट वैकल्पिक प्रक्रिया के माध्यम से या निम्नलिखित में से किसी भी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए उसकी सहमति लेकर सत्यापित की जाएगी :-

- (a) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक पत्र या प्रवेश पत्र।
 - (b) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण-पत्र या अंक पत्र या प्रवेश पत्र।
 - (c) मतदाता पहचान पत्र (वोटर आई०डी० कार्ड)
 - (d) पैन कार्ड
 - (e) भारतीय पासपोर्ट
 - (f) भारत में जारी ड्राइविंग लाइसेंस
2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त (लागू) होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 21st September 2026

No. MM-01/Mantriparishad-26/2012/1268—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), has, vide its letter eF. No. 13(18)/2022-EG-II dated 07 August 2026, authorized Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board (hereinafter referred to as the said Board) through its parent department Cabinet Secretariat Department, Government of Bihar (hereinafter referred to as the said Department), to notify under rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, as amended from time to time (hereinafter referred to as the said rules), read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), to establish the identity of Aadhaar Number Holder on a voluntary basis.

And whereas the Aadhaar authentication shall be performed for Digital Platforms to ensure good governance (hereinafter referred to as the said purpose), as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules, and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the Board shall perform the Aadhaar authentication only for establishing the identity of Candidates at various stages of examinations and/or counselling conducted by the Board and at the

time of their Document Verification & Admission / Joining process. [hereinafter referred to as the use case(s)]

Such authentication shall be performed to prevent impersonation, duplication and fraudulent activities and to ensure data accuracy and integrity, using Yes/No and/or e-KYC authentication facilities.

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the said Act, the Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board through Cabinet Secretariat Department, Government of Bihar, hereby notifies the following, namely: -

1. (1) The BCECE Board under Cabinet Secretariat Department, as provided in the act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

(2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication shall be on voluntary basis. The Board shall inform the Aadhaar number holder of the alternative and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication.

Identity shall be verified through the alternative process specified from time to time in the Prospectus/Advertisement issued by the Board for the relevant Examination/Counselling or by giving his consent for producing any one of the following documents namely:

- (a) Certificate or statement of marks or admit card of matriculation or 10th class issued by recognized board of school education.
- (b) Certificate or statement of marks or admit card of higher secondary or 12th class issued by recognized board of school education.
- (c) Voter ID Card
- (d) Pan Card
- (e) Indian Passport
- (f) Driving license issued in India

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

By order of the Governor of Bihar,
Arvind Kumar Chaudhary,
Additional Chief Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1141-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>